नगर पालिक निगम, कार्यालय

(भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा)

भवन निर्माण अनुमति प्रमाण-पत्र

(भूमि विकास नियम 1984/88 के नियम क्रमांक 27 के अधीन)

क्रमांक : 483 /भवन अनुज्ञा/उत्तर/दक्षिण दिनांक : 4.7.02

प्रति,

श्री शुभाशिष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, श्री चतरूमल भगवानदास

पता 570, स्कीम-31, स्नेह नगर, इन्दौर

हाल मुकाम 7-ए, वैशाली नगर, इन्दौर

महोदय, 570, स्कीम-31, स्नेह नगर

खसरा क्र. ..... भूखण्ड क्रमांक..... बस्ती/मार्ग..... मोहल्ला/बाजार इन्दौर नगर झोन क्रमांक 7 इन्दौर में भूमि/विकास भूमि/भवन के विकास निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए आपके आवेदन क्रमांक 497 दिनांक 21-6-2002 के सन्दर्भ में आपको सूचित करता हूँ कि प्राधिकरण द्वारा (संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के पत्र क्रमांक..... दिनांक..... अनुसार स्वीकृत अभिन्यास एवं उसकी शर्तों के अधीन) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत लाल रंग से किये गये संशोधन अनुसार स्वीकृति प्रदन की जाती है/नहीं की जाती है।

1. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत भवन स्वामी/भू स्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर दी गयी है। इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। इस स्वीकृति दिनांक 28-6-2005 तक वैध होगी, यदि आवश्यकता हो तो नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 28-5-2005 के पूर्व किया जावे।
2. इस स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिप मय इस दाखले के निर्माण स्थल पर रखना अनिवार्य होगा।
3. भवन निर्माण का कार्य निगम से प्राप्त लाइसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाईजर, इंजीनियर अथवा वास्तुविद की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त अवैध निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा।
4. स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये पार्किंग स्थल हेतु जो अनुबंध पत्र आपके द्वारा निगम के पक्ष में लिखा गया, उस अनुसार पार्किंग स्थल का निर्माण कर उसे निगम को हस्तांतरित करना होगा, जो कि अंततः पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् भवन के रहवासियों को निगम सौंपेगा। इस संबंध में भवन निर्माता मौके पर पार्किंग स्थल का सूचना पट्ट तथा वाहन के सुलभ आवागमन हेतु भी सूचना पट्ट, स्वयं के व्यय से लगाएगा।
5. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ड्रेनेज लाईन से जोड़े तथा नगर निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू.) डाय मीटर का आरसी.सी.पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजिल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तलघर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्र. 73 के अनुरूप ही होगा। (भंडारगृह, पार्किंग, कृषि उपयोग उपकरण रखने हेतु तथा बैंक सेलर निर्माण हेतु।)
6. उपरोक्त स्वीकृति अनुसार आपके भूखंड क्षेत्रफल 233.12 वर्गमीटर पर निर्धारित 1.5 एफ.ए.आर. के साथ आवासीय/आवासीय/आवासीय सह वाणिज्यिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सार्वजनिक भूमि उपयोग के अनुसार आपको कुल क्षेत्रफल 298.46 वर्गमीटर पर निर्माण की स्वीकृति प्रदन की जा रही है। जिस हेतु आपके द्वारा उस कार्यालय द्वारा जारी फीस मेमो क्र. 221 दि. 24-6-2002 से रुपये 21080/- रसीद क्र. 97×249 दि. 25-6-2002 से जमा किये गये हैं। इसमें भूतल के साथ जी+3+पेंटहाउस की स्वीकृति हेतु हुए इसके अन्तर्गत कुल – दुकानों/ – कार्यालयों/ – गोडाउन्स/ 10 फ्लेट्स के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन उपयोग के अलावा अन्य उपयोग वर्जित रहेगा।
7. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी। चा. क्र. 55, दि. 25-6-2002, कमिटमेंट चार्ज रू. 1858/-
8. पर्यावरण सुधार की दृष्टि से, रेन/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण हेतु नगर निगम कोष में भवन अनुज्ञा शुल्क के साथ राशि रु..... आपसे जमा करवाई गई है। जिससे सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर उक्त कार्य निगम द्वारा करवाए जाएंगे।
9. भूतल + दो मंजिल से अधिक ऊँचे भवन निर्माण की स्थिति में भवन निर्माण स्वीकृति की समस्त जानकारी (मय नक्शे के) का एक सूचना पट्ट, निर्माण स्थल पर स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होगा।
10. 250 (दो सौ पचास) वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वयं के व्यय से आपको करवाना होगा। यह कार्य भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ ही पूर्ण करना होगा तथा नगर निगम की वाटर हार्वेस्टिंग शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

अन्य शर्तें :-
1. जी+3+पेंट हाउस आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृत। छिपाये गये तथ्यों की स्थिति
2. में अथवा किसी विवाद या विभाग से आपत्ति आने पर दी गई स्वीकृति
3. स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

सरिता/28602

भवन अधिकारी

नाम.....

उत्तर वृत्त/दक्षिण वृत्त

28/6/02

नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रथमेष-10,000-03-02